सं0-43/2022/366/12-5099/4/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त कुलपति,
कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

2- कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त प्रभारी,
के0वी0के0,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 04 जुलाई, 2022**

विषय- प्रदेश में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के क्रियान्वयन के दृष्टिगत विभागीय कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में प्रचलित रसायन एवं पेस्टीसाइड युक्त कृषि पद्धति से जहॉ एक ओर कृषकों की इनपुट लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है, वही दूसरी ओर इस विधा के नकारात्मक प्रभाव मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के विभिन्न आयामों पर परिलक्षित हो रहे है। अतः कृषकों को आर्थिक रुप से समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने तथा पर्यावरण में हो रहे नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करने के दृष्टिगत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है।

2- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति विभिन्न स्वरुपों में प्रदेश के जागरुक कृषकों द्वारा पूर्व से ही अपनायी जा रही है, परन्तु इस विधा को वृहद स्तर पर अपनाने हेतु कृषि विभाग के जनपद स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को सघन प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत मास्टर ट्रेनर तैयार किये जाने के विषय में पूर्व में ही शासनादेश संख्या-240/12-5-2022, दिनांक 18-05-2022 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में सीमा रहमानखेड़ा, लखनऊ में दिनांक 24.05.2022 से 09.06.2022 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात श्रेणी-**2** के विभागीय अधिकारी, के0वी**0**के**0** के वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक खेती से जुड़े कृषकों को मास्टर ट्रेनर के रुप में प्रशिक्षित किया गया है।

3- अतः भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति विषय पर जनपदों में उक्त मास्टर ट्रेनरों द्वारा विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाए -

(I) सीमा रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा दिनांक 24-05-2022 से 09-06-2022 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात श्रेणी-2 के विभागीय अधिकारी, के0वी**0**के**0** के वैज्ञानिक तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राकृतिक खेती से जुड़े कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जो कि जनपदों में मास्टर ट्रेनर के रुप में विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगें।

(II) जनपदों में दो दिवसीय प्रशिक्षण के0वी**0**के**0** अथवा अन्य संस्थान पर (जहाँ प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन इकाई स्थापित हो) पर आयोजित किया जायेगा**]** जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक खेती के विभिन्न आयामों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में देशी गाय की व्यवस्था, जीवामृत, घनजीवामृत, दषपर्णी, नीमास्त्र इत्यादि का तैयार कर प्रायोजित प्रदर्शन भी किया जायेगा।

(III) प्रशिक्षण में फील्ड कार्मिक यथा प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए, ग्रुप 'बी' एवं ग्रुप 'सी' तथा आत्मा योजना अन्तर्गत योजित ए0टी0एम0**,** बी0टी0एम0 एवं अन्य कार्मिक प्रतिभाग करेगें।

(IV) ए0टी0एम0**,** बी0टी0एम0 के प्रशिक्षण पर व्यय होने वाली धनराशि आत्मा योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद से वहन की जायेगी।

(V) प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए, ग्रुप'बी 'एवं ग्रुप 'सी' एवं अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण पर व्यय होने वाली धनराशि कृषि सूचना तन्त्र का सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरुकता कार्यक्रम योजना से वहन की जायेगी।

(VI) प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपदीय उप कृषि निदेशक की होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति एवं फोटोग्राफ्स संयुक्त कृषि निदेशक(बाढ़ो0यो**0**), कृषि भवन, लखनऊ को समापन के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(VII) प्रशिक्षण के समस्त कार्यक्रम दिनांक 15-07-2022 तक अथवा इससे पूर्व आयोजित कर लिये जायेगें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एंव दिनांक यथोक्त ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
3. संयुक्त कृषि निदेशक(ब्यूरो), लखनऊ।
4. संयुक्त कृषि निदेशक(बाढ़ो0यो**0**), कृषि भवन, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक (प्रसार), उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in